न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुरेश कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 53/2022, प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण

1. नरेश सैनी पुत्र रामगोपाल सैनी जाति माली निवासी लोदीवालों का बास पण्डितपुरा तहसील बसवा जिला दौसा।

प्रार्थीगण

बनाम

1. बनवारी लाल पुत्र हरगोविन्द जाति माली निवासी जागीर बांदीकुई तहसील बसवा जिला दौसा।
2. कमलेश कुमार मीना पुत्र कैलाश चन्द मीना जाति मीना निवासी काईकी ढाणी ग्राम झूथाहेडा कलॉ तहसील मण्डावर जिला दौसा।
3. सुरेन्द्र सिंह गुर्जर पुत्र गिर्राज सिंह गुर्जर जाति गुर्जर नूरपुर तहसील बसवा जिला दौसा।
4. श्री नीरज कुमार मीना पीठासीन अधिकारी उप जिला कलक्टर बांदीकुई जिला दौसा।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण उनवानी प्रकरण नरेश सैनी बनाम बनवारी लाल आदि दावा तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या 61/2022 जो उप जिला कलक्टर बांदीकुई के न्यायालय में विचाराधीन है।

उपस्थिति : श्री सीताराम मीना अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
: श्री दयाराम गुर्जर अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 उपस्थित।

:— निर्णय :— दिनांकः—05.04.2023

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक वाद तकास्मा स्थाई निषेधाज्ञा व अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या 61/2022 विवादित भूमि ग्राम जागीर बांदीकुई तहसील बसवा के सम्बन्ध में उप जिला कलक्टर बांदीकुई के न्यायालय में विचारधीन है। उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा टी.आई. दिनांक 29.3.2022 को जारी कर रखी है जो आज दिनांक तक प्रभावशील है। अप्रार्थीगण प्रभावशाली व्यक्ति होने के कारण उन्होने उप जिला कलक्टर बांदीकुई से साज कर रखा है तथा प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 को उप जिला कलक्टर बांदीकुई के आवास व चैम्बर में मिलते—जुलते एवं बात करते देखा है। उप जिला कलक्टर बांदीकुई भी प्रकरण का शीघ्र निस्तारण करने पर आमादा है। प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी उप जिला कलक्टर बांदीकुई से न्याय की कोई उम्मीद नहीं होना एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 की पीठासीन अधिकारी उप जिला कलक्टर बांदीकुई से मिलीभगत होने का अन्देशा होना व्यक्त करते हुये न्यायालय उप जिला कलक्टर बांदीकुई में विचाराधीन प्रकरण उनवानी नरेश सैनी बनाम बनवारी लाल आदि दावा तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या 61/2022 को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु स्थानान्तरित करवाये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई से प्रकरण के सम्बन्ध में तथ्यात्मक टिप्पणी प्राप्त की गई। अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई के यहां एक वाद तकास्मा स्थाई निषेधाज्ञा व अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या 61/2022 विवादित भूमि ग्राम जागीर बांदीकुई तहसील बसवा के सम्बन्ध में विचारधीन है। उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा टी. आई. दिनांक 29.3.2022 को जारी कर रखी है जो आज दिनांक तक प्रभावशील है। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 प्रभावशाली है तथा उन्होने उप जिला कलक्टर बांदीकुई से मिलीभगत कर रखी है तथा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 को प्रार्थी ने उप जिला कलक्टर बांदीकुई के आवास व चैम्बर में मिलते जुलते व बात करते देखा है तथा अप्रार्थीगण भी सरेआम कहते है कि हमारी उप जिला कलक्टर से बातचीत हो गई है तथा प्रकरण का फैसला हमारे पक्ष मे ही होकर रहेगा। उप जिला कलक्टर बांदीकुई भी प्रकरण का शीघ्र निस्तारण करने पर आमादा है तथा टी. आई. को निरस्त करने पर तुले हुये है। ऐसे में प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय से न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। न्याय हित में प्रकरण को स्पष्ट सुनवाई व निर्णय हेतु अन्य सक्षम न्यायालय मे स्थानान्तरित किया जाना आवश्यक है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण उनवानी नरेश सैनी बनाम बनवारी लाल आदि दावा तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या 61/2022 को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने के आदेश फरमाने का निवेदन किया गया।

जवाब बहस के दौरान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 ने निवेदन किया कि प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई के खिलाफ झूंठे, निराधार एवं मनगढन्त आरोप लगाकर यह प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण न्यायालय में पेश किया गया है। अप्रार्थीगण की किसी से कोई मिलीभगत नहीं है। प्रकरण में सम्पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया का पालन करते हुये ही कार्यवाही की जा रही है। यदि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन उक्त प्रकरण को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किया जाता है तो अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 को कोई आपत्ति नहीं है।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 द्वारा बहस के दौरान न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई में विचाराधीन उक्त प्रकरण को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना व्यक्त किया है। उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई द्वारा भी अपनी रिपोर्ट में प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना व्यक्त किया है।ऐसी स्थिति में हम प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण स्वीकार किया जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई में विचाराधीन प्रकरण वाद तकास्मा स्थाई निषेधाज्ञा व अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या 61/2022 उनवानी नरेश सैनी बनाम बनवारी लाल को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा में स्थानान्तरित किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई को निर्देशित किया जाता है कि वाद तकास्मा स्थाई निषेधाज्ञा व अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या 61/2022 उनवानी नरेश सैनी बनाम बनवारी लाल से सम्बन्धित मूल पत्रावली दिनांक 17.04.2023 से पूर्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा में भिजवाई जावे। उभयपक्षकारान सुनवाई हेतु दिनांक 17.04.2023 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा में उपस्थित हो। उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई एवं उपखण्ड अधिकरी दौसा को निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ तहरीर भिजवाई जावे। प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं पत्रावली बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार की जावे।

(सुरेश कुमार)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 5.4.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुरेश कुमार)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official